विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है तथा चार अध्यायों से अन्तर्विष्ट है। अध्याय 1 तथा 2 पंचायती राज संस्थाओं से सम्बंधित हैं तथा अध्याय 3 तथा 4 शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित हैं। इस विहंगावलोकन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत किया जाता है:

पंचायती राज संस्थाओं की रूप रेखा

73वें संवैधानिक संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी निरंतरता में विभाग द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 कार्यकलाप पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए गए थे। तथापि पंचायती राज संस्थाओं को निधियां एवं पदाधिकारी हस्तांतरित किए जाने शेष थे।

राज्य में 12 जिला परिषदें, 77 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। 2012-13 के दौरान छः जिला परिषदों, 19 पंचायत समितियों तथा 92 ग्राम पंचायतों के नमूना जांचित अभिलेखों ने वित्तीय प्रतिवेदन मामले जैसे (क) बजट आकलनों की तैयारी न होना (ख) पंजिकाओं जैसे स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका आदि का अनुरक्षण न करना (ग) स्वत्व संसाधनों तथा सहायता अनुदान/ऋण के लेखा का अनुचित अनुरक्षण (घ) रोकड़ बहियों तथा बैंक पास बुकों के मध्य समाधान न होना (ड़) उपार्जित सामग्रियों का अनुत्तरदायित्व (च) कार्यों के लेखा का अनुचित अनुरक्षण (छ) तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई निधियों का अवरोधन आदि।

(अध्याय-1)

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

इक्यावन ग्राम पंचायतों ने ₹ 12.14 लाख के गृह कर की वसूली नहीं की। दस पंचायती राज संस्थाएं ₹ 35.77 लाख की राशि दुकानों के किराया प्रभारों के आधार पर वसूलने में असफल रहीं। तीस ग्राम पंचायतों ने ₹ 5.04 लाख की राशि की रॉयल्टियां आपूर्त्तिकर्त्ताओं से प्राप्त नहीं की। उन्नीस ग्राम पंचायतों में मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापना प्रभारों के नवीकरण के आधार पर ₹ 4.02 लाख का राजस्व अवसूल रहा। सात ग्राम पंचायतें तथा एक पंचायत समिति ₹ 12.01 लाख के अदत्त अग्रिम वसूलने/समायोजित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। तैंतालिस पंचायती राज संस्थाओं ने कोटेशन/निविदाओं को आमंत्रित किए बिना ₹ 1.90 करोड़ की सामग्री खरीदी थी। चौदह पंचायती राज संस्थाओं में ₹ 62.87 लाख की निधियां कार्यों के

प्रारम्भ न होने के कारण अव्ययित रही। छः ग्राम पंचायतों ने एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यों पर उन्हीं श्रमिकों को तैनात किया। ग्राम पंचायत बैरागढ़ (जिला चम्बा) ने एक कैलेंडर मास की गैर मौजूद तिथियों के लिए ₹ 0.03 लाख की मजदूरी का भुगतान किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना मजदूरी सामग्री अनुपात के अनुरक्षण न होने तथा श्रम भुगतान को जारी करने में हुए विलम्ब से प्रभावित हुई।

(अध्याय-2)

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

राज्य में एक नगर निगम, 25 नगर परिषदें तथा 23 नगर पंचायतें हैं। 74वें संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियों तथा पदाधिकारियों सहित संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के हस्तांतरण तथा शक्ति के विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित सभी 18 कार्य हैं, तो भी शहरी स्थानीय निकायों की निधियां एवं पदाधिकारी हस्तांतरित किये जाने हैं। राज्य सरकार ने लेखा के प्रमाणन के लिए किन्हीं एक्ट/नियमों का प्रावधान नहीं किया है। एक नगर निगम, छः नगर परिषदों तथा आठ नगर पंचायतों के अभिलेखों की 2012-13 के दौरान की गई नमूना जांच ने वित्तीय प्रतिवेदन मामले जैसे (क) लेखा का गैर-प्रमाणन (ख) बजट आकलनों को यथार्थ पूर्ण तरीके से तैयार न करना दर्शाया।

(अध्याय-3)

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार चार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा गृह कर की दरों को संशोधित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.70 करोड़ के राजस्व का घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त, आठ शहरी स्थानीय निकायों में गृह कर के प्रभावहीन अनुश्रवण के कारण ₹ 5.33 करोड़ का राजस्व बकाया पड़ा था। नगर परिषद् बद्दी ने गृह कर नहीं लगाया तथा ₹ 20.67 लाख की राशि का स्वच्छता कर तथा ₹ 54.23 लाख की राशि का विद्युत कर लगाने में भी असफल रही। सात शहरी स्थानीय निकाय सम्बंधित आवंटितियों से ₹ 1.92 करोड़ की राशि का दुकान किराया वसूलने में असफल रहे। नगर निगम शिमला भी ₹ 32.84 लाख का पट्टा धन वसूलने में असफल रहा। सात शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों की वसूली में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 47.05 लाख के राजस्व की हानि हुई। तीन शहरी स्थानीय निकायों ने मानदण्डों से अधिक ₹ 3.14 करोड़ का व्यय किया। नगर निगम,

शिमला ने शिमला के विभिन्न क्षेत्रों में छोड़ी गई/जीर्ण सिवरेज तथा लुप्त लाइनों में सिवरेज नेटवर्क के जीर्णोद्धार के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत ₹ 12.33 करोड़ का उपयोग नहीं किया। यह पानी के बिलों के भुगतान करने में भी असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 112.66 करोड़ की दायिता का सृजन हुआ तथा अभिलेखों के उपलब्ध न होने के कारण ₹ 24.52 करोड़ के आकस्मिक अग्रिम समायोजित/वसूल नहीं किए। इसने बिना उचित योजना के कार पार्किंगों पर ₹ 25.60 लाख का व्यय भी किया। नगर पंचायत भोटा (जिला हमीरपुर) कूड़े के निस्तारण हेतु हाईड्रोलिक टिप्पर खरीद के लिए उपलब्ध ₹ 7.50 लाख की निधियों का उपयोग करने में असफल रहा।

(अध्याय-4)